**मॉड्यूल 1ः बाल अधिकार तथा संरक्षण कानूनों से एक परिचय**

**सत्र 3ः बच्चों के संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा**

अवधिः 14:17 मिनट

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के साथ–साथ कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की संस्थागत देखभाल के बारे में जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी, ऐसे बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण के बारे में जानना है।

- बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना के अनुसार बच्चे के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण का कार्य किया जाना चाहिए, विशेषतः परिवार आधारित देखरेख जैसे कि परिवार में या अभिभावक के पास पुनर्स्थापन हो सकता है, तो पर्यवेक्षण सहित या रहित स्पॉन्सरि ाप या दत्तक ग्रहण या पालक देखरेख योजना को तरजीह दी जानी चाहिए

- अगर कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा जमानत पर रिहा नहीं किया गया है और पर्यवेक्षण गृह में है अथवा जेजेबी के आदेश पर विशेष गृह या सुरक्षित स्थान या उपयुक्त सुविधा में या उपयुक्त व्यक्ति के साथ रखा गया है, तो उसके पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया वहीं शुरू कर देनी चाहिए।

- देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे जो किसी कारणवश अपने परिवारों में नहीं भेजे जा सके हैं, उन्हें किसी ऐसे संस्थान में, जो इस अधिनियम के तहत ऐसे बच्चों की देखरेख के लिए पंजीकृत हैं या उपयुक्त व्यक्ति या किसी उपयुक्त संस्था में अस्थायी या लम्बे समय के लिए रखना चाहिए तथा बच्चा जहां भी रखा गया हो वहां उसके पुनर्वास या एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए।

- देखरेख और संरक्षण के जरुरतमन्द बच्चे जो संस्थागत देखरेख या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे जो विशेश गृह या सुरक्षित स्थान को 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर छोड़ रहे हैं, उन्हें धारा 46 के प्रावधान के अनुसार वित्तीय सहायता दी जा सकती है, ताकि वे समाज की मुख्य धारा में पुनः शामिल हो सकें।

उपरोक्त के अतिरिक्त, कुछ अन्य मुख्य प्रावधान हैं जिनके बारे में जानकारी होना आप के लिए आव यक है, जो निम्नवत हैं:

1. केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) अनाथ बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु नियम एवं विनियम बनाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण की अनुमति तब होती है जब दत्तक–ग्रहण के लिए बच्चे के मुक्त घोषित होने के 30 दिनों के अन्दर कोई भारतीय दम्पत्ति जो दत्तक–ग्रहण का इच्छुक हो, उपलब्ध नहीं है।

2. दत्तक–ग्रहण के इच्छुक दम्पत्ति आर्थिक और शारीरिक रूप से सक्षम होने चाहिए। एकल व्यक्ति या तलाकशुदा व्यक्ति भी बच्चे को दत्तक–ग्रहण में ले सकता है। निःशक्त बच्चों को दत्तक ग्रहण में प्राथमिकता दी जाएगी।

3. बाल कल्याण समिति के आदेश तथा पालक परिवार के चयन के आधार पर देखरेख और संरक्षण के जरुरतमन्द बच्चे को पालक देखरेख में रखा जा सकता है।

4. बच्चों को खरीदने और बेचने के अपराध में 5 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। बच्चे को कोई नशीला या मादक पदार्थ देने पर 7 वर्ष तक के कारावास दण्ड का प्रावधान है।

5. बाल गृहए पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह आदि जैसी सुविधाओं को अनिवार्य रूप से स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

6. देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के सभी बाल देखरेख संस्थानों/आवासीय सुविधाओं का पंजीकरण अनिवार्य है तथा पंजीकरण न कराने की स्थिति में जुर्माना भरना पड़ेगा।

7. बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं का पंजीकरण अव य कराया जाना चाहिए। बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों को शारीरिक दण्ड देना दण्डनीय अपराध है।

8. देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले और कानून का उल्लंघन करने वाले दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजना अनिवार्य है।

9. मीडिया को कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की पहचान का खुलासा करने की मनाही है।

आइए अब हम बात करें कि किशोर न्याय अधिनियम में 2015 में बच्चों के विरूद्ध अपराध की सज़ाओं में क्या संशोधन हुए हैं

- बच्चों के साथ क्रूरता की सज़ा छः माह से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है।
- बच्चों को खरीदना और बेचना दण्डनीय अपराध है तथा इसकी सजा में 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है।
- देखरेख संस्थानों में शारीरिक दण्ड देना दण्डनीय अपराध है।
- कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना दत्तक–ग्रहण करना दण्डनीय अपराध है और इसके लिए 3 वर्ष का कारावास या एक लाख रूपये का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

किशोर न्याय अधिनियम के अतिरिक्त कुछ अन्य बाल संरक्षण कानून हैं। उनके नाम तथा उनकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

1. किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) है। बच्चों को यौन दुर्व्यवहार, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया हैं। ऐसे अपराधों की सुनवाई और संबंधित मामलों के लिए पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष अदालतें गठित की गई हैं। बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 45 के तहत 9 मार्च 2020 को नये नियम लागू किए गए हैं जिन्हें बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण नियम, 2020 के नाम से जाना जाता है।

बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण नियम, 2020 की मुख्य बातें:

जागरुकता बढ़ाना और क्षमता विकासः केन्द्र सरकार, या जैसा विनिर्दिष्ट हो, राज्य सरकार को बच्चों के लिए उम्र के अनुसार शैक्षणिक सामग्री तथा पाठ्यक्रम तैयार करना होगा जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा के विभिन्न पक्षों की उन्हें जानकारी मिले, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो–

- ऐसे उपाय जिससे उनके शारीरिक और यथार्थ पहचान की रक्षा हो और मानसिक और भावनात्मक खुशहाली संरक्षित हो।
- यौन अपराधों की रोकथाम और संरक्षण
- रिपोर्टिंग तंत्र जिसमें चाईल्ड हेल्पलाईन सेवाएं– 1098 शामिल हो
- अधिनियम के तहत, लिंग संवेदन ीलता, लिंग समता तथा समानता को शामिल करना ताकि अपराधों की प्रभावी रोकथाम की जा सके।

2. संबंधित सरकार द्वारा उपयुक्त सामग्री और जानकारी का प्रचार–प्रसार, सार्वजनिक स्थानों जैसे– पंचायत भवन, सामुदायिक केन्द्र, स्कूलों और महाविद्यालयों, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, लोगों के एकत्रित होने के स्थानों, एयरपोर्टों, टैक्सी स्टैण्डों, सिनमा हालों, और ऐसे ही मुख्य स्थानों पर और वर्चुअल स्थानों जैसे इन्टरनेट और सोशल मीडिया पर भी कराया जा सकता है।

3. ऐसे संस्थान जिसमें बच्चे रहते हैं अथवा जो बच्चों के नियमित सम्पर्क में आते हों, जिसमें विद्यालय, क्रेच, खेल अकादमी या बच्चों के लिए कोई अन्य सुविधा शामिल हैं, यह अवश्य सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ कार्यरत सभी कर्मी जिसमें शिक्षक, गैर शिक्षणकर्मी अथवा नियमित या संविदाकर्मी या कोई अन्य कर्मी जो संस्था में काम करता हो एवं बच्चों के संपर्क में आता हो, उनका आवधिक तौर पर पुलिस सत्यापन एवं पृष्ठिभूमि की जाँच अवश्य हो।

4. ऐसी संस्थाओं को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें संवेदित करने के लिए समय–समय पर बाल सुरक्षा और संरक्षण पर प्रशिक्षण दिया जाए।

5. बच्चों के साथ हिंसा को बर्दाश्त करने के शून्य सिद्धान्त के आधार पर संबंधित सरकारों को एक बाल सुरक्षा नीति बनानी चाहिए जो सभी संस्थानों, संगठनों, या कोई भी ऐजेन्सी जो बच्चों के साथ कार्य कर रही है या बच्चों के सम्पर्क में आ रही है, द्वारा यह नीति अपनाई जानी चाहिए।

6. केन्द्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार समय–समय पर प्रशिक्षण देंगी जिसमें अभिमुखीकरण कार्यक्रम संवेदीकरण कार्यशाला, और रिफ्रेशर कोर्स सभी कर्मियों, चाहे वे नियमित हों या संविदा पर हों, जो बच्चों के सम्पर्क में आ रहे हों, को दी जाएंगी ताकि उन्हें बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए संवेदित किया जा सके और उन्हें अधिनियम के तहत उनकी जिम्मेदारी के बारे में शिक्षित किया जा सके।

7. पुलिस कर्मियों एवं फॉरेन्सिक विशेषज्ञों के लिए भी अभिमुखीकरण कार्यक्रम और गहन पाठ्यक्रमों का आयोजन भी किया जा सकता है ताकि नियमित आधार पर उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से संबंधित क्षमता का विकास किया जा सके।

पॉक्सो नियम 2020 के द्वारा वे बच्चे जो लैंगिक दुर्व्यवहार के शिकार हुए हैं, उनके लिए कुछ अनिवार्य हक निर्धारित किए हैं, जिससे वे जानकारी एवं सेवाएं प्राप्त कर सकें। उनकी सूची निम्नवत् है:

1. एफआईआर की प्रति प्राप्त करना
2. पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा एवं संरक्षण प्राप्त करना
3. सीविल अस्पताल या पीएचसी द्वारा तत्काल एवं निःशुल्क चिकित्सीय जांच की सुविधा प्राप्त करना
4. मानसिक और मनोवैज्ञानिक खु ाहाली के लिए पराम ा और सलाह प्राप्त करना
5. महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चे के बयान की रिकॉर्डिंग बच्चे के घर पर या ऐसा कोई स्थान जो बच्चे के लिए सुविधाजनक हो, वहीं की जाएगी।
6. अगर अपराध घर पर या साझे घर में हुआ हो तो बच्चे को बाल देखरेख संस्थान में या ऐसे व्यक्ति की देखरेख में भेजना चाहिए जिसपर बच्चे का विश्वास हो।
7. बाल कल्याण समिति की अनुशंसा पर तुरन्त मदद और सहायता देना।
8. दोषारोपी से सुनवाई के दौरान या हर समय अलग रखना।
9. आवश्यकतानुसार के अनुसार अर्थ बताने वाला या दुभाषिया रखना
10. अगर बच्चा निःशक्त है ता`बच्चे के लिए विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ व्यक्ति रखना।
11. निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त होना
12. बाल कल्याण समिति द्वारा सहयोगी व्यक्ति (सपोर्ट पर्सन) नियुक्त करना।
13. शिक्षा जारी रखना
14. निजता एवं गोपनीयता कायम रखना
15. महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बरों, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक के नं. भी शामिल होंगे, की सूची प्रदान करना

(नोटः फार्म को बाल अनुकूल सरल तथा स्थानीय भाषा में बदला जा सकता है)

पॉक्सो अधिनियम 2012, में निम्नलिखित अपराध पॉक्सो के तहत सूचीबद्ध किए गए हैं।

- **बच्चों के विरूद्ध यौन अपराध**
  - भेदक यौन हमला (च्मदमजतंजपअम `मगनंस `नसज)
  - गंभीर भेदक यौन हमला ( ।हहतंअंजमक चमदमजतंजपअम `मगनंस `नसज)
  - यौन हमला (`मगनंस `नसज)
  - गंभीर यौन हमला ( ।हहतंअंजमक `मगनंस `नसज)
  - यौन उत्पीड़न (`मगनंस ींतेंउमदज)
- पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों का इस्तेमाल
- अपराध करने के प्रयास का अभियोग
- मामले की रिपोर्ट करने या केस दर्ज करने में लापरवाही
- फर्जी शिकायत या फर्जी सूचना

**सजा**

- अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधी को तीन वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की कठोर सजा जिसमें जुर्माना भी शामिल होगा
- 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के विरूद्ध लैंगिक अपराध की स्थिति में अधिक कठोर सजा

**पुनर्वास**

- विशेष किशोर पुलिस इकाई/स्थानीय पुलिस द्वारा बच्चे को देखरेख और संरक्षण देने के लिए तुरन्त व्यवस्था करना जैसे– बच्चे को आश्रय गृह में या नज़दीकी अस्पताल में रिपोर्ट के 24 घण्टे के अंदर दाखिल करना।
- शिकायत दर्ज करने के 24 घण्टे के अन्दर विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस द्वारा मामले की सूचना बाल कल्याण समिति को देना ताकि बच्चे को तत्कालीन राहत तथा दीर्घकालीन पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा सके
- दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चे को चिकित्सीय उपचार और पुनर्वास के लिए मुआवजे की राशि का विशेष न्यायालय द्वारा निर्धारण किया जाना

**बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा 2016 में यथा संशोधित**

यह एक ऐसा अधिनियम है जो बच्चों को किसी भी प्रकार के व्यवसाय में लगाए जाने और किशोर–किशोरियों को जोखिम वाले कार्यों तथा प्रक्रियाओं में लगाए जाने संबंधित मामलों से निषेध करता है। इस अधिनियम के अनुसारः

- 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को स्कूल का समय पूरा होने के बाद या छुट्टियों के दौरान अपने घर के कार्यों या पारिवारिक व्यवसाय, जो जोखिम वाला कार्य न हो, में हाथ बंटाने तथा ऐसे कलाकार जो श्रव्य–दृश्य मनोरंजन उद्योग में कार्य करते हैं, इन्हें छोड़कर किसी भी प्रकार के रोज़गार, व्यवसाय या उसकी प्रक्रियाओं में कार्य नहीं कर सकता या उसे कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

- किसी भी किशोर–किशोरी (14 से 18 वर्ष के व्यक्ति) को जोखिम वाले रोजगार या उसकी प्रक्रिया में कार्य करने की अनुमति नहीं है।

- अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध जो भी बच्चों या किशोर–किशोरियों को काम पर लगाएगा उसे कम से कम छः माह का कारावास (जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) की सज़ा होगी या कम से कम 20 हज़ार रुपये का जुर्माना (जिसे पचास हज़ार तक बढ़ाया जा सकता है) या दोनों, हो सकती हैं।

- अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति जो दोषी ठहराया जा चुका है वह अगर बाद में वैसा ही अपराध करता है तो उसे कम से कम एक वर्ष के कारावास की सजा होगी जो तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

1. **बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006**– यह अधिनियम बाल विवाह के निषेध के लिए है। इस अधिनियम के तहत बच्चे का तात्पर्य अगर पुरुष है तो, जिसने 21 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है और अगर स्त्री है तो जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है।

2. **अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1956**– यह अधिनियम अनैतिक व्यापार तथा आर्थिक लाभ के लिए यौन शोषण की रोकथाम करता है।

3. **बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम**– यह एक ऐसा अधिनियम है जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य रूप से शिक्षा पाने का मूलभूत अधिकार प्रदान करता है।

4. **बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005**– बाल अधिकारों की रक्षा तथा बच्चों के विरुद्ध हुए अपराधों के शीघ्र निपटारे या बाल अधिकारों के उल्लंघन या उससे जुड़े मुद्दों को देखने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों तथा बाल न्यायालयों के गठन के लिए यह अधिनियम है।

**अनुश्रवण**

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण अनिवार्य रूप से करना निर्धारित किया गया है।